UPRN010033862026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(14 वाँ वित्त आयोग),
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।

जमानत प्रार्थनापत्र सं०–1286/2026

विशाल उर्फ बल्लू पुत्र वासुदेव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम टोडरपुर, थाना–शिवली, जिला–कानपुर देहात।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **.....अभियोजन पक्ष।**

मु०अ०सं०–21/2026
धारा–303(2) बी०एन०एस०।
थाना–रूरा, जिला–कानपुर देहात।

दिनांक–27.06.2026

आवेदक/अभियुक्त विशाल उर्फ बल्लू की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं०–21/2026, अन्तर्गत धारा–303(2) बी०एन०एस०, थाना–रूरा, जिला–कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो वासुदेव पुत्र रामेश्वर के शपथपत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा महेश पुत्र रामपाल ग्राम प्रीतम पुरवां, थाना–रूरा, जिला–कानपुर देहात का निवासी है। दिनांक–03.01.2026 को रात करीब 09 बजे वह अपने जानवरों (भैस) का सानी, चारा इत्यादि करके घर के चबूतरे में बाध दी थी और घर के अंदर जाकर खाना खा पी कर सो गया। रात करीब 10 बजे वह पेशाब करने के लिए बाहर आया और पेशाब करके अपने जानवरों को देखा तो वह बंधी हुई थी तथा घर से कुछ दूरी पर गोपी पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम अहिरानी थाना–रूरा, कानपुर देहात अकेले खड़ा हुआ था यह देख वह अपने घर के अंदर चला गया और सो गया। पुनः रात क़रीब 02 बजे जब वह पेशाब करने के लिए घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके दो जानवर (भैस) जिनकी अनुमानित कीमत दो लाख रूपए अपनी जगह से नदारत थी तथा उक्त गोपी भी वहां से गायब था। उसको शक है कि दिनांक–03.01.2026 की बीती रात्रि गोपी के द्वारा उसकी दो भैस चोरी कर ली गयी है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस ने थाना शिवली में मु०अ०सं०–36/2026 में अभियुक्त को वांछित कर जेल भेज दिया और अभियुक्त पर कुल छः मुकदमें वांछित कर दिये। आवेदक/अभियुक्त पाँच मामलों में अपनी जमानत प्राप्त कर चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद नहीं है और न ही उसने भैस की चोरी की है। आवेदक/अभियुक्त को किसी व्यक्ति ने चोरी करते हुये नहीं देखा है। आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–24.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त जमानत होने पर जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा वह प्रत्येक तिथि को हाजिर अदालत आता रहेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जावे।

जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में संबंधित थाने से प्रस्तरवार आख्या प्राप्त हुयी।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त व सहअभियुक्तगण को थाना शिवली की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त दिनांक–25.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है तथा अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त थाना–शिवली में मु०अ०सं०–215/2025 धारा–303(2),317(5) बी०एन०एस०, मु०अ०सं०–395/2025 धारा–305, 317(2),317(4),317(5),331(4),61(2) बी०एन०एस०, मु०अ०

क्रमशः पेज सं०–2 पर

Digitally signed by ANAND PRIYA GAUTAM
Date: 2026.06.27 15:22:50 IST
Reason: Bail.
Location: Add.District and Sessions Court/FTC(14th.Fin.Comm)

सं०–428/2025 धारा–303(2),317(2),317(4),317(5),331(4),61(2) बी०एन०एस० एवं मु०अ०सं०–36/2026 धारा–310(4),313 बी०एन०एस० के अभियोग पंजीकृत हैं। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जमानत की शर्तों का दुरूपयोग करेगा और समय से न्यायालय में हाजिर नहीं होगा। अतः अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद अभियुक्त बास्तवा गोपी के विरूद्ध धारा–303(2) बी०एन०एस० के अन्तर्गत पंजीकृत करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–10.01.2026 को पंजीकृत करायी गयी है जबकि घटना दिनांक–03/04.01.2026 की है। दौरान विवेचना अभियुक्त विशाल उर्फ बल्लू का नाम प्रकाश में आया है। प्रस्तुत मामले से संबंधित चोरी के दो अदद भैंस बरामद होना नहीं पाये जाते हैं। अभियुक्त विशाल उर्फ बल्लू की सी०सी०टी०एन०एस० कैस रिपोर्ट दिनांकित–21.06.2026 के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मुकदमें के अतिरिक्त थाना–शिवली पर चार मुकदमें पंजीकृत होना पाये जाते हैं, जिनमें तीन मुकदमें सन् 2025 व एक मुकदमा सन् 2026 का है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के किसी मामले में दोषसिद्धि के संबंध में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक – 25.01.2026 से जिला कारागार कानपुर देहात में निरूद्ध है। प्रस्तुत मामले में जरिये आरोप–पत्र विवेचना समाप्त की जा चुकी है तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा –303(2) बी०एन०एस० के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस मत की है कि मुकदमें के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विशाल उर्फ बल्लू की ओर से मु०अ०सं० –21/2026, अन्तर्गत धारा–303(2) बी०एन०एस०, थाना–रूरा, जिला–कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु०–50,000/–रू०(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर एवं निम्न आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उसे दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जायेः–

(1). कि वह विचारण में न्यायालय का सहयोग करेगा। आरोप विरचित किये जाने के समय, धारा–313 के बयान अंकित करने की तिथि एवं निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि न्यायालय किसी भी स्तर पर यह पाता है कि अभियुक्त जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित हो रहा है तो उस स्थिति में न्यायालय जमानत के व्यतिक्रम का मामला मानते हुये उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

(2). कि वह प्रत्येक नियत तिथि को स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(3). कि वह किसी साक्षी को डरायेगा व धमकायेगा नहीं और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

(4). कि वह जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

<u>दिनांक–27.06.2026</u>

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(14 वाँ वित्त आयोग)
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।